



बिहार सरकार  
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग  
पशुपालन निदेशालय  
पटना- 800014



पत्रांक-8 बजट (1) 09/2026 ..... आ०

दिनांक- 20/04/2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०  
निदेशक, पशुपालन,  
बिहार।

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/ क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर/ चारा विकास पदाधिकारी, समुदायिक विकास प्रखण्ड, पटना/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना/ गया/ भोजपुर (आरा)/ छपरा/ मुजफ्फरपुर/ दरभंगा/ मुंगेर/ सहरसा/ पूर्णियाँ / भागलपुर तथा मोतिहारी।

**विषयः-** वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 107 चारा तथा चारागाह विकास, उपशीर्ष 0001 - चारा और खाद्य विकास, मांग संख्या-02, विपत्र कोड - 02-2403001070001 के अन्तर्गत संबंधित कार्यालयों के व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपये 66,43,900/- (छियासठ लाख तैंतालीस हजार नौ सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपये 66,43,900/- (छियासठ लाख तैंतालीस हजार नौ सौ) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं० -2 के अधीन मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 107- चारा तथा चारागाह विकास, उपशीर्ष 0001- चारा और खाद्य विकास विपत्र कोड- 02- 2403001070001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये स्थायी योजना एवं स्थायी स्थापना के तहत दिया जा रहा है। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 236/वि० दिनांक- 09.03.2026 एवं 314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) पुनरीक्षित प्राक्कलन 2026-27 एवं बजट प्राक्कलन 2027-28 दिनांक 31 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध करा दें।

(च) वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-8 बजट (1) 09/2026 प0पा0 08/10 आ0/ पटना-14, दिनांक-20/04/2026

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या - टी0 ए0- 57 - 96-97-प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.1999 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को अनुलग्नक की प्रति के साथ (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्ष -2403-पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 107 - चारा तथा चारागाह विकास, उपशीर्ष 0001 - चारा और खाद्य विकास विपत्र कोड 02 -2403001070001 के अन्तर्गत आवंटन विवरणी :-

क्रं0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	योग - वेतन एवं भत्ते	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11 01 यात्रा व्यय	13 01 कार्यालय व्यय	13 03 दूरभाष	13 04 विधुत प्रभार	52 01 मशीनें एवं उपस्कर- कार्यालय	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना	527400	355400	98600	21700	12600	1015700	0	0	0	0	0	0	1015700
2	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	चारा विकास पदाधिकारी, समुदायिक विकास प्रखण्ड, पटना	2033900	1322000	447400	68300	25300	3896900	0	23800	60000	5900	19800	49500	4055900
5	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना	241500	156900	53100	9500	6300	467300	0	10000	20000	0	0	0	497300
6	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भोजपुर(आरा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा	218700	142100	32800	3800	6300	403700	0	10000	15000	0	0	0	428700
11	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहरसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियां	184300	119700	27600	3600	6300	341500	0	0	15000	0	0	0	356500
14	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी	144300	93700	21600	3900	6300	269800	0	5000	15000	0	0	0	289800
	कुल योग	3350100	2189800	681100	110800	63100	6394900	0	48800	125000	5900	19800	49500	6643900

(छियासठ लाख तैतालीस हजार नौ सौ) मात्र -

08/04/2026  
20/04/2026

निदेशक पशुपालन।